भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

International Year of Cooperatives 2025

RBA No. 31 / 2025

No.2025/ACII/20/8/ e3490505

New Delhi, dated:15/12/2025

General Managers
All Zonal Railways/Production Units.

Subject: Grant of third chance to Junior Accounts Assistants (JAA) for appearing in Appendix II (IREM) Examination beyond four years – reg.

In continuation of the Board's instructions issued on the subject from time to time, the issue of relaxation in the prescribed **four-year period for availing the third chance** to appear in the Appendix-II (IREM) Examination by Junior Accounts Assistants (JAA) has been examined by the Board.

Vide Railway Board's letter No. 95/ACII/20/8 dated 28.06.1995, the power to grant the third chance to clear the Appendix-II examination within four years of services, on the specific recommendation of FA&CAO, was delegated to the General Manager.

Board (MF) has now decided that Zonal Railways / Production Units, **with the approval of the General Manager and on the specific recommendation of PFA**, allow availing of the **third chance, as permitted as per extant guidelines, beyond the four-year period of service**, duly recording the reasons for not being able to conduct the examinations in a way that each candidates get the second/third chance within a period of three/four year respectively.

It is reiterated that this relaxation is restricted only to the time limit and does not entail any enhancement in the number of permissible chances. All other conditions governing the Appendix-II (IREM) Examination shall remain unchanged.

15/12/2025

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
Email id : rajat.agarwal91@gov.in

No.2025/ACII/20/8/ e3490505

New Delhi, dated:15/12/2025

Copy forwarded to
PFAs/All Zonal Railways/Production Units.

15/12/2025

Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
Email id : rajat.agarwal91@gov.in

भारत सरकार / Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 31 / 2025

सं.2025/एसी॥/20/8/ई3490505 नई दिल्ली, दिनांक: 15/12/2025

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: कनिष्ठ लेखा सहायकों (जेएए) को चार साल पूरा होने के बाद भी परिशिष्ट ॥ (आईआरईएम) परीक्षा में भाग लेने के लिए तीसरा अवसर प्रदान करनें के संबंध में।

इस विषय पर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के क्रम में, कनिष्ठ लेखा सहायकों (जेएए) द्वारा परिशिष्ट ॥ (आईआरईएम) परीक्षा में **भाग लेने के लिए तीसरी अवसर प्राप्त करने के लिए निर्धारित चार साल की अवधि** में छूट देने के मुद्दे पर बोर्ड ने विचार किया है।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.06.1995 के पत्र संख्या 95/एसी ॥/20/8 के तहत, वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की विशिष्ट सिफारिश पर, सेवा के चार वर्षों के भीतर परिशिष्ट-॥ परीक्षा पास करने के लिए तीसरा अवसर देने का अधिकार, महाप्रबंधक को प्रत्यायोजित किया गया था।

बोर्ड (सदस्य वित्त) ने अब यह विनिश्चय किया है कि क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां, **महाप्रबंधक के अनुमोदन और प्रधान वित्त सलाहकार की विशिष्ट सिफारिश पर, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, चार साल की सेवा अवधि के बाद भी तीसरा अवसर देने की अनुमति दे सकते हैं,** परंतु वे परीक्षा आयोजित न कर पाने के कारणों को विधिवत् रूप से इस प्रकार दर्ज किया जाए ताकि प्रत्येक उम्मीदवार को क्रमशः तीन/चार साल की अवधि के भीतर दूसरा/तीसरा अवसर मिल सके।

यह दोहराया जाता है कि यह छूट केवल समय-सीमा तक ही सीमित है और इसमें अनुमत अवसरों की संख्या में किसी भी प्रकार की वृद्धि शामिल नहीं है। परिशिष्ट-॥ (आईआरईएम) परीक्षा को नियंत्रित करने वाली अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ह.

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

फोन नं: 011-23047018

ईमेल आईडी: rajat.agarwal91@gov.in

सं.2025/एसी II/20/8/ई3490505

नई दिल्ली,दिनांक: 15/12/2025

प्रतिलिपि प्रेषित

प्रधान वित्त सलाहकार/सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

(रजत अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
फोन नं: 011-23047018
ईमेल आईडी: rajat.agarwal91@gov.in